

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4()विधि/पंरावि/2011/ 1134 जयपुर दि० 1 जुलाई, 11

ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।

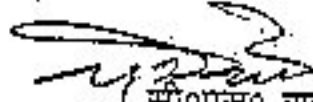
मुख्य, कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषय:- "मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" एवं "इंदिरा आवास योजना" के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत ।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" एवं "इंदिरा आवास योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है जिसकी प्रगति की समीक्षा के दौरान ज़िला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा आवासहीन बीपीएल परिवारों को दिये जाने वाले निःशुल्क पट्टों के आवंटन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है ।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 153 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को आवंटन का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत पंचायत सचिब की आवादी भूमि में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टे आवंटन करने के अधिकार ग्राम पंचायत में निहित हैं तथा नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृहों का दिनियमितकरण कर पट्टे जारी करने की शक्ति भी पंचायत में निहित है । उक्त प्रावधानों के अंतर्गत आवंटन/पट्टा जारी किये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित किया जाकर आवंटन/पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है । नियम 157 एवं 158 के अंतर्गत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिए नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने संबंधी प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 145 से 156 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपेक्षित/आवश्यक नहीं है । अतः नियम 157 एवं 158 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर बीपीएल परिवारों को पट्टे आवंटन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करावे, ताकि योजना सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा सके ।

ज़िला कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि जिन ग्राम पंचायतों के अधीन पंचायत सचिब में आवंटन हेतु आवादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आवादी उपयोगार्थ परिवर्तित करते हुए आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जावे ।


(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर ।
3. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान ।

शासन सचिव एवं आयुक्त